श्री धर्मबीर सिंह पार्टनर मैसर्स न्यू शिवा स्टोन क्शर, गांव व डाकघर कंडवाल, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा सं0 723/1 कुल क्षेत्रफल 02.89.62 हैक्टेयर (निजी भूमि/चक्की खडड का नदी तल), मोहाल मैरा बटराह, मौजा मैरा डूमल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन (लघू खनिजों के खनन) कुल क्षमता 1,23,750 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई के आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्री धर्मबीर सिंह पार्टनर मैसर्स न्यू शिवा स्टोन क्शर, गांव व डाकघर कंडवाल, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा सं0 723/1 कुल क्षेत्रफल 02.89.62 हैक्टेयर (निजी भूमि/चक्की खडड का नदी तल), मोहाल मैरा बटराह, मौजा मैरा डूमल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन (लघू खनिजों के खनन) कुल क्षमता 1,23,750 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29.08.2025 को प्रातः 11:30 बजे सामुदायिक भवन कायल, डाकघर कायल, ग्राम पंचायत हडल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में करवाया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/2006 एवं अधिसूचना सं0: –एस0ओ0 2163 दिनांक 09/05/2022 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपमण्डल दण्डाधिकारी, नूरपुर, जिला कांगडा (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–। पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों व उपस्थित स्थानीय निवासियों को जन–सुनवाई में पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाने हेतू परियोजना के परामर्शदाता को कहा गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री धर्मपाल शर्मा, गांव कायला, डाकघर खन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने शमशान घाट के लिए रास्ते की समस्या के समाधान हेतू अनुरोध किया और कहा कि पिछली जन–सुनवाई में भी अध्यक्ष महोदय को रास्ते की समस्या के बारे अवगत करवाया गया था अतः इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।	————

		सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला ने सभी उपस्थित लोगों से इस जन–सुनवाई में प्रस्तावित खनन पटटे से सम्बन्धित विचार रखने हेतू अनुरोध किया।	
2.	श्री अनिल शर्मा स्पुत्र श्री सुख राम शर्मा, गांव कायला, डाकघर खन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और परियोजना परामर्शदाता से लगाए गये पेड़ों बारे जानकारी प्रदान करने हेतू कहा गया।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि इनके द्वारा खनन क्षेत्र के साथ पेड़ों को लगाया गया है।
		उन्होंने बताया कि कोई पेड़ नहीं लगाया गया है और बताया कि यह लगभग पांचवी जन–सुनवाई है और लगभग 10 हैक्टयर के लिए हो चुकी है और कोई भी पेड़ नहीं लगाया गया है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के मालिक द्वारा अपने क्षेत्र में पेड़ लगाए गये हैं। इसके लिए आपको उक्त क्षेत्र के फोटोग्राफ भी दिखाए जा सकते हैं।
		उन्होंने मानसून के बाद परियोजना परामर्शदाता से उक्त क्षेत्र में किए गये पौधारोपण बारे सयुंक्त रुप से निरीक्षण करने हेतू कहा, ताकि इसे सुनिश्चित किया जा सके।	
		इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि नियमानुसार खनन होने पर कोई आपति नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हाजिरी दस्तावेज में क्षेत्र के लोगों से उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया।	
		सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला ने सभी उपस्थित लोगों से हाजिरी दस्तावेज में उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया और कहा कि इस जन–सुनवाई में इस खनन पटटे को कोई भी अनापत्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। इस जन–सुनवाई का उदेश्य यहां उठाए गये मुददों को रिकार्ड कर सरकार को भेजना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि यहां पर पहले हुई जन–सुनवाई में आपके द्वारा उठाए गये मुददों को रिकार्ड किया गया था और उसे आगे सरकार को भेज दिया गया था। आप उस कार्यवाही की प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला के कार्यालय व उनकी आनलाईन वैवसाईट से भी प्राप्त कर सकते हैं।	
3.	श्रीमति इच्छा देवी, गांव व डाकघर हडल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि चक्की खडड में खनन के कारण हमारी भूमि वह गई है। इसके बारे बताया जाए। उन्होंने इस क्षेत्र का मौका करने का अनुरोध किया।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि खनन की इसमें कोई भूमिका नहीं है यह सब बरसात में भारी बर्षा के कारण हुआ हैं। बरसात होने के कारण मैटिरियल आता है और यदि खनन नहीं होगा तो फलड की आशंका अधिक होगी और खनन होने से पानी का वहाब सही तरीके से होगा।
4.	श्री विनय कुमार शर्मा गांव व डाकघर	उन्होंने कहा कि श्रीमति इच्छा देवी कहना चाहती है कि उनकी निजी भूमि खनन	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि यहां पर 02 मीटर तक

	कायला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	होने के कारण वह रही है। और यहां कितना खनन हो रहा है और उसे कौन सुनिश्चित कर रहा है?	खनन प्रस्तावित है और उसे खनन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
		उन्होंने बताया कि यहां पर लगभग 10 मीटर तक गहरा खनन किया गया है। अतः इसे सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति की जानकारी दी जाए।	परियोजना के परामर्शदाता ने बताया कि नियमों से अधिक खनन और अवैध खनन होने पर आप इसकी शिकायत सम्बन्धित खनन विभाग अधिकारी से कर सकते हैं।
		उन्होंने पूछा कि खनन किस प्रकार से किया जाएगा? क्या जेसीवी मशीनों के माध्यम से किया जाएगा?	परियोजना के परामर्शदाता ने बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में यदि जेसीबी के प्रयोग की अनुमति होगी तो जेसीबी का उपयोग भी किया जाएगा और उसका उपयोग भी नियमोंनुसार होगा।
		उन्होंने पूछा कि खनन के लिए विभाग के किसी अधिकारी का नाम बताया जाए ताकि उससे इस बारे बात की जा सके।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि इसके लिए आप खनन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
		उन्होंने कहा कि इससे पहले आंबटित क्षेत्रों से किए गये खनन के कारण चक्की क्षेत्र में कटाव हुआ है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जैसे चक्की पुल, रेलवे पुल व अन्य संसाधनों को नुकसान हुआ है।	इसके अतिरिक्त खनन अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह जन–सुनवाई प्रस्तावित खनन पटटे के लिए हो रही है। खनन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो नुकसान हुआ है वह अवैध खनन के कारण हुआ है।
		क्या इस नुकसान से खनन का कोई सम्बन्ध नहीं है और सभी लोग खनन करने के लिए केवल कायला गांव में आ रहे हैं।	खनन अधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना के लिए सम्बन्धित ग्रांम पंचायत की एन0ओ0सी0 जरुरी है और यह जन–सुनवाई पंचायत की एन0ओ0सी0 मिलने के बाद हो रही है और पंचायत की एन0ओ0सी0 के बिना प्रस्ताव आगे नहीं जाता है।
		उन्होंने पंचायत सचिव को इस बारे बताने हेतू व पंचायत को इससे हुई आय बारे बताने हेतू आग्रह किया।	पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिव की इस खनन प्रकिया में कोई भी भूमिका नहीं है। यह मामला खनन विभाग से सम्बन्धित है। इस पर खनन अधिकारी द्वारा खनन से पंचायत को आने वाले आय बारे बताया गया कि जब कोई खनन पटटे की मंजूरी होती है तो उसमें 10 रु0 प्रति टन के हिसाब से सम्बन्धित पंचायत को पंचायत

			टैक्स के रुप में जाता है। और वह राशि खनन विभाग से जिला पंचायत अधिकारी के खाते में जमा होती है और उसका रिकार्ड आप खनन विभाग व जिला पंचायत अधिकारी से ले सकते हैं। और उस राशि को उपयोग आप अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में कर सकते हैं।
		अध्यक्ष महोदय ने भी सभी उपस्थित लोगों से हाजिरी दस्तावेज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया और सभी उपस्थित लोगों से इस जन–सुनवाई में प्रस्तावित खनन पटटे से सम्बन्धित विचार रखने हेतू अनुरोध किया।	
5.	श्री प्रेम सिंह, पूर्व उप–प्रधान गांव खन्नी झिकली, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि यहां बेरोजगारी की काफी समस्या है और अधिकतर लोग क्शरों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार खनन होने पर कोई आपति नहीं हैं। खनन के कारण कुछ नुकसान भी होता है परन्तु निर्माण कार्यों जैसे : सड़कों के निर्माण, इमारतों के निर्माण व घरों के निर्माण के लिए मैटिरियल की आपूर्ति यहीं से होती है। पेड़ों के बारे बताना चाहता हूं कि यहां पर लगभग 3000 पेड़ लगाए गये है जिनकी अभी भी फोटोग्राफी की जा सकती है और जहां पर कमी होगी उन्होंने परियोजना मालिक से ओर पेड़ लगाने हेतू अनुरोध किया। अतः खनन नियमों के अनुसार होगा तो हमें कोई आपति नहीं है और इससे सरकार को भी आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के बार्डर क्षेत्रों में अधिक से अधिक क्शर लगाने का अनुरोध किया ताकि राज्य सरकार को आय के साथ–2 रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।	————————

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यवाद किया गया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए गए और यहां पर मुख्यः मुददा शमशान घाट के लिए रास्ते का है। इसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि इसमें वन अधिकार अधिनियम नियम में एक केस भूमि हस्तातरण के लिए फाइल होता है इसमें अधिकतर प्रस्ताव तैयार हो चुका है परन्तु ग्राम

पंचायत का ग्राम सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव लगता है और वन अधिकार अधिनियम नियम में मंजूरी के बाद वह भूमि रास्ते के लिए पंचायत को दे दी जाती है। अतः पंचायत से अनुरोध करता हूं कि वह सारा प्रस्ताव तैयार कर दें, ताकि उसे बन विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि आपके द्वारा इस बारे जो भी सुझाव दिए गये हैं, उसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारीगण एवं गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने हेतू आभार प्रकट किया और पर्यावरण जन–सुनवाई का समापन किया।

अरुण शर्मा (हि0प्र0से0)
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
नूरपुर,
जिला कांगडा (हि.प्र.)

Proceedings of public hearing of Environmental Clearance Project proposal submitted by Sh. Dharambir Singh, Partner M/s New Shiva Stone Crusher, VPO Kandwal, Teshil Nurpur District Kangra H.P. for the extraction of sand, stone and bajri from Khasra No. 723/1 measuring area 02-89-62 Ha. (Pvt. Land, River Bed of Chakki Khad) @ 123750 MTPA falling in Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.

Environmental Clearance Project proposal submitted by Sh. Dharambir Singh, Partner M/s New Shiva Stone Crusher, VPO Kandwal, Teshil Nurpur District Kangra H.P. for the extraction of sand, stone and bajri from Khasra No. 723/1 measuring area 02-89-62 Ha. (Pvt. Land, River Bed of Chakki Khad) @ 123750 MTPA falling in Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. was conducted on date: 29/08/2025 at 11:30 AM at Samudayik Bhawan Kayal, PO Khanni, near Ram Leela Manch Kayal, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006 & as per the notification no: S.O. 2163 (E), dated: 09/05/2022.This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sh. Arun Sharma, SDM Nurpur according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**).

The officers/officials from different departments and Pradhan/ Up-Pradhan and representatives of Panchayat, & local public of Panchayats were also present during the public hearing.

First of all, Er. Varun Gupta, Assistant Environmental Engineer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairman, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairman was requested to permit to start the public hearing.

The Chairman permitted to start the process of public hearing and the project proponent was requested to give the detailed description to the public about the project proposal. The detailed description regarding this proposed mining area was given by the consultant of the Project Proponent. The Chairman also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1	Sh Dharampal Sharma, Village Kayla, PO Khanni, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	He requested for the solution of the problem of the road to the cremation ground and said that the it was also informed to the Chairman about the problem of road to cremation ground in recent public hearing held here,	---------------------

		hence this problem should be solved.	
		Assistant Environmental Engineer, HPSPCB Dharamshala requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections only related to this proposed mining project here.	
2	Sh. Anil Sharma, S/o Sh. Sukh Ram Sharma, VPO Kayla, Tehsil & District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairman, officers & officials of various departments and the local residents. He requested the project consultant to inform about the plantation here. He said that no tree has been planted. He informed that this is approximately the fifth public hearing organized here and the public hearings have already been done here for about 10 hectares mining area and no tree has been planted here. He requested to jointly inspect the plantation done in the said area with the project consultant after the monsoon season, so that it can be verified. In addition, he said that there is no objection if mining is done as per the norms. Apart from this, he requested the people present during the public hearing to mark their presence in the attendance sheet.	The consultant of the project informed that plantation have been carried out here. The consultant of the project informed that proponent has carried out plantation here and we can provide the photographs of plantation of the said area.
		Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Dharamshala requested all the people present to mark their presence in the attendance sheet and said that no approval is being given for this mining lease in this public hearing. The purpose of this public hearing is to record the issues raised by the public here and forward it to the Government. Apart from this, he told that the issues raised by you were also recorded in the earlier public hearing held here and it was further sent to the government. You can also get a copy of that proceedings of the recent public hearing from the O/o State Pollution Control Board Dharamshala or their website.	
3	Smt Ichhiya Devi, VPO Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra	She said that our land has got washed away due to the mining activities carried out in Chakki Khad. We should be informed	The project consultant informed that mining activity has no role in this and this has happened due to heavy rainfall in mansoon season.

	H.P.	about this. She also requested to inspect the site.	The material comes due to heavy rain and if mining is not done then there will be more chances of flood. If the mining will be done, the level of the khad will go down and water will flow properly.
4	Sh Vinay Kumar, VPO Kayla, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	He said that Smt. Ichhiya Devi wants to say that her private land is getting washed away due to mining activities. He asked how much mining is done here and who is responsible for it. He informed that mining activities have been carried out here upto 10 meters depth. Therefore, information of the concerned officer should be conveyed here for further correspondence in the matter. He asked how the mining would be done here? Will it be done through JCB machines? He requested to display the name of the concerned officer for further correspondence in the matter. He informed that due to mining done in the earlier allotted areas, there has been erosion in area and in the Chakki area, which has caused loss to the Government. For example, Chakki bridge, Railway bridge and other resources have been damaged. He asked that the damage happened here is not related to the mining activities. He asked why the Kayla village always has been approached for the mining project.	The consultant of the project informed that there is provision of mining upto 02 meter depth and it is ensured by the Mining Department. The project consultant informed that if the mining is carried out beyond the norms, you can file a complaint about it to the concerned Mining Officer. The consultant of the project informed that if JCB is allowed in the proposed mining project then JCB will be used as per the rules. The project consultant requested to take up the matter with Mining Officer. The Mining Officer informed that this public hearing is done for proposed mining lease area and said that the damage done here was occurred due to illegal mining activities. The mining officer informed that NOC of the concerned Gram Panchayat is necessary for the mining project and the public hearing is conducted after that and without the NOC of the Panchayat

			the proposal does not move forward.
		He requested the Panchayat Secretary to inform about the mining activities and revenue generated from mining activities.	The Panchayat Secretary informed that he has no role in the mining process. This matter is related to the mining department. The Mining Officer informed about the revenue of the Panchayat from mining activities that when a mining lease is approved, then Rs. 10 per tonne is deposit to the concerned Panchayat as Panchayat tax. He informed that amount is deposited in the account of the District Panchayat Officer by the Mining Department. The record of the same could be obtained from the Mining Department and also from the District Panchayat Office. He further informed that you can use this amount for development works in your Gram Panchayat.
		The Chairman requested all the people present during the public hearing to mark their presence in the attendance sheet and also requested to express their views, comments, suggestions and objections only related to this proposed mining project.	
5	Sh. Prem Singh, Ex. Pradhan, Village Khanni Jhikli Tehisl Nurpur, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairman, officers & officials of various departments and the local residents. He said that there is a problem of unemployment here and most of the people are dependent on crushers. He said that there is no objection if mining is done as per the norms. There is some damage due to mining activities, but the material for construction works like construction of buildings, roads, and houses is supplied from here. Regarding the trees, he informed that around 3000 trees have been	--------------------

		planted here photographs of which can be taken. He said that he will further request the project owner to plant more trees. He said if mining is done as per the norms, we have no objection and the government also gets revenue from this. Apart from this, he requested to install more crushers in the border areas of the state, so that the State Government can get employment opportunities along with revenue.	

In addition, no written issues/suggestions were received during the public hearing.

After this, the Chairman thanked everyone present and said that everyone expressed their suggestions without any hesitation or fear and pressure. He said that the main issue here is the road to the cremation ground. In this regard, I would like to tell you that a case is filed under the Forest Right Act for land transfer. The proposal is almost at completion stage and only a NOC of the Gram Panchayat is pending through the Gram Sabha. After the approval under Forest Right Act, the land is given to the Panchayat for the road. Therefore, I request the Panchayat to prepare the entire proposal through Gram Sabha, so that it can be sent to the Forest Department for further approval. He said that the suggestions given by the public has been recorded in written and videography has also been done. This will be sent to Government and further decision shall be taken by the Government. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of villages and local residents.

At the end, Er. Varun Gupta, Assistant Environmental Engineer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Arun Sharma, H.A.S.,
Sub Divisional Magistrate,
Nurpur,
District Kangra H.P.